रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003–05 REGD. No. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 10] नई दिल्ली, मार्च 5—मार्च 11, 2017, शनिवार/फाल्गुन 14—फाल्गुन 20, 1938
No. 10] NEW DELHI, MARCH 5—MARCH 11, 2017, SATURDAY/PHALGUNA 14—PHALGUNA 20, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं

Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India (Other than the Ministry of Defence

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2017

का.आ. 575.—केन्द्रीय सरकार (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम (4) के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित कार्यालय को जिसके 80% से अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :-

राष्ट्रीय पटसन बोर्ड,
3ए व 3बी पार्क प्लाजा,
71-पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016 (पश्चिम बंगाल)

[सं. ई-11016/1//2015- हिंदी]

पुनीत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2017

का.आ. 636.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 मार्च, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध पश्चिम बंगाल राज्य के निम्नलिखित जिलों के क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"नदिया एवं मुर्शिदाबाद जिलों (पश्चिम बंगाल) के सभी क्षेत्र/संपूर्ण क्षेत्र" ।

[सं. एस-38013/01/2017-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 2nd March, 2017

S.O. 636.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st March, 2017 as the date on which the provisions of Chapter-IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following Areas in the State of West Bengal namely :—

"All the areas of the Districts Nadia and Murshidabad, West Bengal."

[No. S-38013/01/2017-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2017

का.आ. 637.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 1 मार्च, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी हैं] के उपबंध झारखण्ड राज्य के 15 जिलों के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, नामत:—

क्र.सं.	जिला का नाम	निम्नलिखित के अधीन सम्पूर्ण क्षेत्र
1	पश्चिमी सिंहभूम	म्युनिसिपल क्षेत्र चाईबासा
2	हजारीबाग	म्युनिसिपल क्षेत्र हजारीबाग
3	गढ़वा	म्युनिसिपल क्षेत्र गढ़वा
4	पलामू	म्युनिसिपल क्षेत्र पलामू
5	लातेहार	नगर पंचायत क्षेत्र लातेहार
6	लोहरदगा	म्युनिसिपल क्षेत्र लोहरदगा
7	सिमडेगा	नगर पंचायत क्षेत्र सिमडेगा
8	खूंटी	नगर पंचायत क्षेत्र खूंटी
9	गुमला	म्युनिसिपल क्षेत्र गुमला
10	चतरा	म्युनिसिपल क्षेत्र चतरा
11	जामताड़ा	नगर पंचायत क्षेत्र जामताड़ा
12	पाकुड़	म्युनिसिपल क्षेत्र पाकुड़
13	गोड्डा	म्युनिसिपल क्षेत्र गोड्डा
14	साहेबगंज	म्युनिसिपल क्षेत्र साहेबगंज
15	दुमका	म्युनिसिपल क्षेत्र दुमका

[सं. एस-38013/06/2017-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव